(16)

मननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

20 COURT FEES INDIA भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES

C.F. 18-20

R-3478-III/14

1– दिलीप कुमार } पिता मनमोहन राम चतुर्वेदी ग्राम गुजरेड तहसील रामपुर नैकिन
2– राजेश कुमार } जिला सीधी (म.प्र.) ————आवेदक गण

679
26-9-14

बनाम

कालिका प्रसाद पिता रामसुन्दर राम ब्रा0 ग्राम गुजरेड
तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0 ————अनावेदक

श्री जत. डी.डी. त्रिपाठी एड के द्वारा आज दिनांक 26-9-14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय उप खण्ड अधिकारी उपखंण्ड चुरहट/रामपुर नैकिन प्रकरण क. 74/अपील/11–12आदेश दिनांक 31/07/2014 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण का सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आनावेदक द्वारा ग्राम गुजरेड की वाद ग्रस्त भूमियो के सम्बन्ध मे म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता की धारा 107(5) के तहत नक्शा सुधार हेतु आवेदन पत्र नायव तहसीलदार बृत्त हनुमानगढ तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमे प्रारम्भिक जॉच पश्चात न्यायालय नायव तहसीलदार बृत्त हनुमानगढ द्वारा नक्शा सुधार का क्षेत्राधिकार न्यायालय को नही होने के कारण मूलतः प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन जिला सीधी को अग्रेसित किया गया न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन द्वारा गहन परीक्षण करने के पश्चात नायव तहसीलदार को पुनः बृस्तृत प्रतिवेदन तुलनात्मक सूची एवं भौतिक स्थल की जॉच पश्चात प्रतिवेदन हेतु आदेशित किया गया न्यायालय नायव तहसीलदार के प्रभारी अधिकारी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के आदेश का परिपालन न करते हुए स्वतः आपने क्षेत्राधिकार के वाहर अनावेदक गण के आवेदन पत्र को स्वीकार करते हुए नक्शा सुधार का अन्तिम आदेश पारित कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर आवेदक गण

क्रमांक 32452
... पोस्ट द्वारा आज ... प्राप्त
29-9-14
... ऑफ रेवेन्यू
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3478–तीन/2014 जिला सीधी

दिलीप कुमार विरूद्ध कालिका प्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–6–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी चुरहट रामपुर नैकिन जिला सीधी के प्रकरण कमांक 74/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 31–7–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। निगरानी प्रकरण एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पत्रिका की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया। आदेश की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि बन्दोबस्त से निर्मित किये गये कम रकबे के संबंध में आवेदक द्वारा आवेदन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने उभय पक्ष से लिखित विवरण एवं प्रमाण पेश करने तथा नायब तहसीलदार से प्रतिवेदन मंगाये जाने के आदेश दिये हैं। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार की कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	